समाहर्त्ता न्यायालय, पूर्णिया

आदेश की सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख
04.02.2020	**उत्पाद वाद संख्या-311/2019**	

राज्य

बनाम

1. अनिल कुमार, पिता-पाथर पासवान, सा0-रेलवे कॉलोनी के निकट, सहरसा, थाना+जिला-सहरसा। (जप्त TEMPU NO.-BR11D-8813 के पूर्व स्वामी)
2. शत्रुघ्न चौधरी, पिता-स्व0 शोभालाल चौधरी, सा0-आनन्दनगर नया टोला, वार्ड नं0-42, थाना-सदर, जिला-पूर्णिया। (जप्त TEMPU NO.-BR11D-8813 के स्वामी)

.... *विपक्षीगण*

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। **पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया के पत्रांक 3916/हि0शा0 दिनांक-14.10.2019** द्वारा प्राप्त प्रस्ताव एवं संलग्न कागजातों में वर्णित है कि **उक्त वाहन की जांच दिनांक 27.01.2019 को बायसी थाना अंतर्गत दिग्घी पूल से पूरब के पास की गई।** जांच के क्रम में **जप्त वाहन से OFFICERS CHOICE WHISKY का 189 बोतल (प्रति बोतल 180 मि0ली0), BLENDERS PRIDE WHISKY का 13 बोतल (प्रति बोतल 750 मि0ली0), SIGNATURE WHISKY का 02 बोतल (प्रति बोतल 750 मि0ली0), ROYAL STAG WHISKY का 07 बोतल (प्रति बोतल 750 मि0ली0) एवं BEER का 05 बोतल (प्रति बोतल 500 मि0ली0) विदेशी शराब** पाया गया। तत्पश्चात् जप्ती सूची तैयार कर **बायसी थाना काण्ड सं0-23/2019 दिनांक 27.01.2019** दर्ज कराई गई। **पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया** द्वारा बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत् जप्त वाहन को राजसात करने की अनुशंसा की गई है।

इस वाद में विपक्षी सं0-01 को निबंधित डाक द्वारा नोटिस निर्गत किया गया, जिसके आलोक में विपक्षी सं0-01 द्वारा दिनांक 17.01.2020 को कारणपृच्छा समर्पित कर अवगत काराया गया कि जप्त वाहन की बिक्री विपक्षी सं0-02 के पास कर दी गई है। तत्पश्चात् ज्ञापांक

318/विधि दिनांक 22.01.2020 द्वारा निबंधित डाक के माध्यम से विपक्षी सं0-02 को न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस भेजा गया, परन्तु विपक्षी सं0-02 उपस्थित नहीं हुए।

उत्पाद विभाग की ओर से प्राधिकृत विद्वान अधिवक्ता को सुना। जांच के क्रम में **जप्त वाहन से OFFICERS CHOICE WHISKY का 189 बोतल (प्रति बोतल 180 मि0ली0), BLENDERS PRIDE WHISKY का 13 बोतल (प्रति बोतल 750 मि0ली0), SIGNATURE WHISKY का 02 बोतल (प्रति बोतल 750 मि0ली0), ROYAL STAG WHISKY का 07 बोतल (प्रति बोतल 750 मि0ली0) एवं BEER का 05 बोतल (प्रति बोतल 500 मि0ली0) विदेशी शराब** बरामद हुआ है। इस प्रकार जप्त वाहन का उपयोग शराब के परिवहन में किया गया है। विपक्षी सं0-02 को निबंधित डाक से नोटिस भेजने पर भी उनके द्वारा अपना पक्ष नहीं रखा गया। साथ ही एक लम्बी अवधि तक जप्त वाहन का खोजबीन नहीं किया जाना, वाहन मालिक की संलिप्तता को परिलक्षित करता है। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 56 में अधिहरण की जा सकने वाली चीजों का वर्णन है, जिसकी उपधारा 'घ' में वर्णित है कि "उसे ढ़ोने के काम में लाये जाने वाले पशु, वाहन, जलयान या परिवहन के अन्य साधन।" स्पष्ट है कि जप्त वाहन के द्वारा शराब का परिवहन किया गया है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा-99 "विधिमान्यकरण के अनुरूप बिहार उत्पाद अधिनियम से संबंधित पूर्व में किये गये सभी तरह के अपराध और उसके अनुसंधान से संबंधित सारे प्रावधानों पर वर्त्तमान बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के प्रावधान ही लागू होंगे और इसी अनुरूप अपराध और अनुसंधान के कार्य निष्पादित किये जायेंगे।" ऐसी स्थिति में उक्त अधिनियम के तहत् प्राप्त शक्ति के आलोक में जप्त वाहन को राजसात किया जाना आवश्यक है।

विपक्षी सं0-01 से प्राप्त कारणपृच्छा, पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया से प्राप्त प्रस्ताव, उत्पाद विभाग की ओर से प्राधिकृत विद्वान अधिवक्ता का अभिकथन तथा अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त वाहन से अवैध शराब जप्त हुआ है। स्पष्ट है कि जप्त वाहन के द्वारा शराब का परिवहन किया गया है। संपूर्ण बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागु होने के बाबजूद जप्त वाहन से शराब पाया जाना दण्डनीय

अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत् उक्त वाहन को राजसात किया जाना विधिसम्मत् प्रतीत होता है।

अतः मैं राहुल कुमार, भा0प्र0से0, जिला दण्डाधिकारी -सह- समाहर्त्ता, पूर्णिया इस वाद अंतर्गत **जप्त TEMPU NO.-BR11D-8813** को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की कंडिका 58(2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजसात का आदेश देता हूँ। अधीक्षक उत्पाद, पूर्णिया को निदेश दिया जाता है कि उत्पाद अधिनियम एवं तत्संबंधी संगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु उत्पाद अधीक्षक, पूर्णिया को भेजें तथा पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया को भी प्रेषित करें।

इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

04/01/20

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।